यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, नरेंद्रनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, नरेंद्रनगर** के माह 06/2019 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जोगिंदर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.09.2020 से 30.09.2020 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरुण कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), श्री संजीव कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री राजेश सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.06.2019 से 12.06.2019 तक श्री ए.के. जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 09/2016 से 05/2019 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी थी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जनपद टिहरी के विकास खंड नरेंद्र नगर, जौनपुर, कीर्तिनगर एवं देवप्रयाग क्षेत्र में नहरों का निर्माण, अनुरक्षण एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों का संचालन।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(` लाख में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2018-19 | - | - | 511.32 | 499.43 | 1509.38 | 1509.15 | - | - |
| 2019-20 | - | - | - | 525.08 | 1235.8 | 1197.59 | - | - |
| 2020-21(माह 08/2020) तक) | - | - | - | 238.64 | 278.45 | 155.82 | -- | -- |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है

(` लाख में)

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय | बचत |
|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | | |

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई "स" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
3. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
4. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल
5. अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, नरेंद्रनगर को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, नरेंद्रनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह फरवरी 2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

(vi) विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में अधीक्षण अभियंता द्वारा निरीक्षण अपेक्षित है।

(vii) खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः यंत्र/ संयंत्र पंजिका की वार्षिक बंदी माह 09/2019 तक तथा स्टॉक लेखा माह 03/2020 तक की है।

(viii) फार्म 51: माह 04/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम - रु 5236.89

भाग द्वितीय - रु 154283.59

(ix) खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 08/2020 के अन्त में:-

(धनराशि रु॰ में)

| | | |
|---|---|---|
| (i) | नगद परिशोधन | शून्य |
| (ii) | सामग्री क्रय | शून्य |
| (iii) | निक्षेप पंजिका | 42796637.15 |
| (iv) | प्रकीर्ण अग्रिम | 676620.88 |
| (v) | भण्डार | 2004370.00 |

## भाग- दो 'ब'

**प्रस्तर-1: कार्य को अनुचित/उच्चतर लागत दरों पर आगणित/अनुमोदित किए जाने से परिहार्य लागत/व्यय `26.38 लाख एवं अनुवन्धों शर्तों के अनुसार ठेकेदारों के देयकों से कार्य के बीमा हेतु `7.92 लाख कटौती न किया जाना।**

महाकुम्भ मेला 2021 के आयोजन की दृष्टि से मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा स0-172/2017 के तहत जनपद टिहरी के विकासखंड नरेंद्रनगर के मुन्नि-की-रेती क्षेत्र में गंगा नदी के दायें तट पर अवशेष आस्थापथ (मैरिन ड्राइव) निर्माण हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश स0-1777(1)/IV-3/2019-01(14 घो0)/ 2018 दिनांक 07-08-2019 के माध्यम से `1280.10 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य को मेलाधिकारी, कुम्भमेला, हरिद्वार द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, नरेंद्रनगर को निक्षेप कार्य के रूप में सौंपा गया था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, नरेंद्रनगर (टिहरी) में उपरोक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन (सितम्बर 2020) से ज्ञात हुआ था कि कार्य की तकनीकी स्वीकृति (स0-05/2019-20 दिनांक 05-09-2019) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरिद्वार द्वारा `1280.10 लाख हेतु प्रदत्त थी जिसमे निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की लागत निम्न-तालिका में दिये गए विवरण के अनुसार `1109.12 लाख अनुमोदित थी और शेष `170.98 लाख के प्रावधान अन्य प्रभार्य व्यय (GST, Contingency & Quality Control) से संबन्धित थे। तालिका में दर्शित, क्रम स0-1 व 2 के कार्यों के तहत 300 मीटर लम्बे एवं 6 मीटर चौड़े आस्था-पथ के निर्माण हेतु 3.75 मीटर उचाई की दो साइड दीवारों के मध्य 6243 घनमीटर भरान कार्य प्रावधानित था जिसमें से 832.13 घनमीटर मिट्टी भरान के कार्य हेतु `167 प्रति घनमीटर लागत दर तथा शेष 5410.87 घनमीटर भरान कार्य हेतु `663.50 प्रति घनमीटर लागत दर अनुमोदित थी। प्रथम भरान कार्य (832.13 घनमीटर) हेतु `167 प्रति घनमीटर की लागत दर इसलिए थी कि उक्त भरान की मात्रा को दीवारों की नीव खुदान से प्राप्त किया जायेगा और तदनुसार उसे कार्य में प्रगोग किया जायेगा जबकि शेष 5410.87 घनमीटर भरान कार्य हेतु `663.50 प्रति घनमीटर उच्च लागत दर इसलिए थी कि उक्त के लिए पत्थर भरान (HP Stone Filling) की दर को लिया गया था।

| Sl. No | Particulars | (` in lakh) | |
|---|---|---|---|
| | | SoR | DSR |
| 1- | Const. of Asthapath in 160 metre | 213.96 | 14.30 |
| 2- | Const. of Asthapath in 140 metre | 167.12 | 22.49 |
| 3- | Box Culvert at Dhalwala for the Astha Path | 42.09 | 39.86 |
| 4- | Repair & Projection of damaged Asthapath. | 212.28 | 60.19 |
| 5- | Beautification work of Asthapath | 51.57 | 0 |
| 6- | Const. of Yog Mahotsav Ghat | 202.30 | 41.73 |
| 7- | Development of Park at Pushkar Ashram | 11.81 | 0 |
| 8- | Const. of Toilets, Changing room, Drinking Water Shed, Shelters, etc. | 0 | 29.42 |
| **Total** | | **901.13** | **207.99** |

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि आस्थापथ की दीवारों के मध्य भरान हेतु न तो पत्थर भरान (HP Stone Filling) की आवश्यकता थी और न ही उक्त हेतु उच्च लागत दर `663.50 प्रति घनमीटर स्वीकृत किए जाने की क्योंकि सम्पूर्ण भरान मात्रा 6243 घनमीटर को स्थानीय तौर पर उपलब्ध किसी भी प्रकार की मिट्टी अथवा कार्य के नदी तट पर होने की दशा में नदी तट सामाग्री (RBM) से भरान हेतु PWD-SoR के अनुसार केवल `167 प्रति घनमीटर की लागत दर स्वीकृत/अनुमोदित की जानी चिहिए थी। इस संधर्भ में उल्लेखनीय यह भी है कि खण्ड द्वारा स्वयं कार्य के दो अनुबंधों के अधीन कार्यस्थल पर नदी धारा को मोड़ने/बन्धा बनाने हेतु उक्त PWD-SoR के अनुसार `167 प्रति घनमीटर की दर से 4455.15 घनमीटर[1] नदी तट सामाग्री (RBM-Backfilling in foundations & trenches) के भरान का कार्य अतिरिक्त मद के रूप में स्वीकृत/निष्पादित करवाया गया था, जो स्पस्ट रूप से इंगित करता है कि कार्यस्थल पर न तो नदी तट सामाग्री (RBM) की उपलब्धता की कमी थी और न ही कार्य हेतु `663.50 प्रति घनमीटर

[1] अनुबन्ध स0-01/SE/2020-21 का 2nd चालू देयक दि0 01-09-2020 के अनुसार **3106.80 घनमीटर** एवं अनुबन्ध स0-02/SE/2019-20 का 4th चालू देयक दि0 01-09-2020 के अनुसार **1348.35 घनमीटर**।

की उच्च दर स्वीकृत करने की आवश्यकता। इस प्रकार, 5410.87 घनमीटर मात्रा के कार्य को `496.50/घनमीटर की अनुचित/उच्चतर लागत दरों पर आगणित/अनुमोदित किए जाने से `26.86 लाख की अतिरिक्त/परिहार्य लागत घटित हुई थी।

प्रकरण को लेखा परीक्षा में उठाये जाने पर खंडीय कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया था कि कार्य के मूल आगणन में RBM भरान के प्रावधान सम्मलित किए गए थे परन्तु शासन द्वारा मित्तव्ययत्ता की दृष्टि से पत्थर भरान (HP Stone Filling) के प्रावधान अनुमोदित किए थे जिसकी PWD-SoR दर `663.50 प्रति घनमीटर है और इस कार्यमद का निष्पादन इससे कम दर में सम्भव नहीं है। खंडीय उत्तर लेखा परीक्षा को इसलिए मान्य नहीं था कि कार्य सामान्य भरान से संबन्धित होने के कारण उक्त हेतु स्थलीय तौर पर उपलब्ध किसी भी प्रकार की मिट्टी अथवा इस कार्य के नदी तट पर स्थित होने की दशा में, नदी तट सामाग्री (RBM) की साधारण भरान के लिए PWD-SoR (Item No. 11-2-2: Backfilling in foundation & trenches) में प्रदत्त दर (`167 प्रति घनमीटर) को लिया जाना चाहिए था।

आगे खण्डीय अभिलेखों के अवलोकन से यह भी ज्ञान्त हुआ था कि कार्य-निष्पादन हेतु खण्ड द्वारा `868.51 लाख के तीन अनुबन्ध[2] गठित किए गए थे जिनके सापेक्ष लेखा परीक्षा तिथि तक `791.91 लाख के व्यय/भुगतान किए जा चुके थे और मासिक लेखों के अनुसार कार्य पर `902.13 लाख का कुल व्यय भारित था। लेखा परीक्षा द्वारा पाया गया था कि खण्ड द्वारा इन गठित अनुवन्धों की शर्तों के अनुसार (Clause-13 of GCC read with Contract Data) ठेकेदारों से सामग्री, सयंत्र, संपति एवं व्यक्तिगत क्षति हेतु आवश्यक बीमा प्रपत्र न तो प्राप्त किए गए थे और न ही उक्त के लिए अनुबन्ध की लागत के 1 प्रतिशत की दर की राशि `7.92 लाख की कटौती की गई थी। यद्यपि, इस बिन्दु पर कार्यालय द्वारा उत्तर/ आश्वासन दिया गया कि वांछित बीमा प्रपत्रों की प्राप्ति हेतु तीनों ठेकेदारों को पत्र लिखे जाएगे तथा अन्यथा की दशा में ठेकेदारों के आगामी देयकों से वांछित कटौतिया कर ली जाएगी।

अतः कार्य को अनुचित/उच्चतर लागत दरों पर आगणित/अनुमोदित किए जाने से `26.38 लाख की परिहार्य लागत/व्यय एवं ठेकेदारों से अनुवन्धों शर्तों के अनुसार कार्य के बीमा हेतु `7.92 लाख की राशि की कटौती न किए जाने के ये प्रकरण प्रकाश में लाये जाते है।

[2]अनुबन्ध स0-01/SE/2019-20 (`592.25 लाख), अनुबन्ध स0-02/SE/2019-20 (`199.20 लाख), एवं अनुबन्ध स0-02/SE/2020-21(`77.06 लाख)।

**भाग-2 ( ब )**

**प्रस्तर- 2 : कार्यो का निष्पादन एकल निविदाओं के तहत न कराएं जाने के परिणामस्वरूप ₹ 69.80 लाख का परिहार्य व्यय।**

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्रस्तर-35 के अनुसार ₹ 25.00 लाख से अधिक की धनराशि के समस्त निर्माण कार्यो की अधिप्राप्ति e-procurement के माध्यम से किया जाना चाहिए। आधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांतो के अंतर्गत प्रस्तर-10 प्रावधानित करता है कि निरंतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा का एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, नरेंद्र नगर टिहरी के अंतर्गत "अलखनन्दा नदी के दायें तट पर ग्राम जाखनी की बाढ़ सुरक्षा योजना" अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (सितम्बर 2020) में पाया कि, उक्त कार्य की स्वीकृति[3] शासन द्वारा ₹ 865.23 लाख की प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग हरिद्वार द्वारा ₹ 704.35 लाख (*मूल तकनीकी स्वीकृति 09/2018; ₹ 741.92 लाख*) की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति[4] की प्रदान की गयी। निर्माण कार्य, जुलाई 2020 तक ₹ 375.51 लाख के व्ययोपरांत प्रगति पर था। योजना हेतु गठित प्राक्कलन में ग्राम जाखणी के तट के सुरक्षा हेतु 505 मीटर[5] लंबाई में दीवार निर्माण का प्रावधान किया गया था।

कार्य निष्पादन से संबन्धित अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच में पाया कि खंड द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्रावधानों के विरुद्ध योजना हेतु प्रावधानित 505 मी॰ दीवार निर्माण के सापेक्ष मात्र 330 मी॰ लंबाई में 04 अनुबंध (02 SE + 02 EE) गठित कर कार्य निष्पादन की कार्यवाही की गयी थी, अवशेष लंबाई (175 मी॰) में दीवार निर्माण/अन्य कार्य हेतु वर्तमान तक कोई अनुबंध गठित नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता स्तर से गठित अनुबन्धो की लागत दर/विभागीय दर और अनुबंधित दर के तुलनात्मक अध्ययन (***संलग्नक-1A***) में पाया कि अधीक्षण अभियंता स्तर से गठित दोनो अनुबन्ध, निविदा लागत (₹ 190.00 लाख/ ₹ 193.82 लाख) के सापेक्ष विभागीय दर से 21 से 24 प्रतिशत कम दरों पर गठित किए गए है जबकि अधिशासी अभियंता द्वारा आमंत्रित निविदा (₹ 23.89 लाख) के सापेक्ष गठित अनुबंध (₹ 23.87 लाख) की दर/लागत लगभग विभागीय दर के बराबर ही है। इससे स्पष्ट है कि एकमुश्त अधिप्राप्ति न किए जाने पर विभाग को प्रतिस्पर्धात्मक दर का लाभ नहीं मिला। अतः यदि खंड/विभाग द्वारा एकमुश्त निविदा आमंत्रित की गयी होती तो विभागीय दर से लगभग 21% कम दर [*₹ 10.00 लाख = (₹ 23.89*2 कार्य ) less 21%*] का लाभ प्राप्त किया जा सकता था। अतः एकमुश्त अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण ₹ 10.00 लाख का व्यायाधिक्य किया गया।

2- इसी प्रकार लेखा परीक्षा द्वारा अलखनन्दा नदी के दायें तट पर ग्राम जूंदीसेरा की बाढ़ सुरक्षा योजना कार्य की जांच में पाया कि खंड द्वारा निर्माण कार्य हेतु अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्रावधानों के विरुद्ध योजना हेतु 450 मी॰ दीवार निर्माण हेतु कुल 14 अनुबंध (1 SE + 13 EE) गठित किए गए है।

---

[3] शासनादेश संख्या: 568/II-2016-04(01)/ 2017 टीसी; दिनांक 23 मार्च 2018; ₹865.23 लाख।

[4] पत्रांक संख्या: 972/मु॰अ॰ह॰/ई-21 (त॰स्वी॰); दिनांक 17/02/2020

[5] 367 मी॰ लंबाई में 10 मी॰ ऊंची RR 1:5 की बेंडेड वाल के आगे CC 1:3:6 (3x2x1.50) मीटर Double Row में Apron Block और 138.00 मी॰ लंबाई में 7.00 मी॰ ऊंची RR 1:5 की बेंडेड वाल में CC 1:3:6 (3x2x1.50) मी॰ के Single Row में Apron Block.

लेखा परीक्षा द्वारा अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता स्तर से गठित अनुबन्धो लागत दर और अनुबंधित दर के तुलनात्मक अध्ययन (***संलग्नक-1B***) में पाया कि अधीक्षण अभियंता स्तर से गठित एक अनुबन्ध (₹167.79 लाख), निविदा लागत/विभागीय दर (₹221.07 लाख) के सापेक्ष 23 प्रतिशत कम दर पर गठित किए गए थे जबकि अधिशासी अभियंता द्वारा आमंत्रित 13 अनुबन्ध (₹259.30 लाख), निविदा लागत/विभागीय दर (₹260.03 लाख) के लगभग बराबर ही है। इससे स्पष्ट है कि एकमुश्त अधिप्राप्ति न किए जाने पर विभाग को प्रतिस्पर्धात्मक दर का लाभ नहीं मिला। अतः यदि खंड/विभाग द्वारा सम्पूर्ण कार्य की एकमुश्त निविदा आमंत्रित की गयी होती तो विभागीय दर से लगभग 23% कम दर अर्थात ₹ 59.80 लाख (*₹ 260.03 लाख का 23%*) का लाभ प्राप्त किया जा सकता था। अतः एकमुश्त अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण ₹ 59.80 लाख का व्यायाधिक्य किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के खंड द्वारा अवगत कराया गया कि, कार्य के शीघ्र सम्पादन हेतु मुख्य अभियंता के आदेश प्राप्त कर अनुबंध गठन की कार्यवाही की गयी। उच्च दर पर अनुबंध गठन के संबंध मे अवगत कराया गया कि आमंत्रित निविदा के सापेक्ष न्यूनतम निविदादाता के साथ अनुबंध गठन की कार्यवाही की गयी है। खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं क्योंकि खंड जाखनी योजना हेतु 175 मी॰ लंबाई में दीवार निर्माण हेतु निविदा/अनुबंध गठन की कार्यवाही ही नहीं की गयी है और टुकड़ो में अनुबंध गठित किए जाने के बावजूद निर्धारित समय अवधि के बाद भी अपूर्ण है। व्ययधिक्य के संबंध में खंड का उत्तर लेखा परीक्षा आपत्ति के सापेक्ष तर्कसंगत नहीं है।

अतः कार्यो का निष्पादन एकल निविदाओं के माध्यम से न करवाएँ जाने के परिणामस्वरूप हुए ₹ 69.80 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

# Annexure-1

## A-Details of Agreements and work done for FPW in right bank of Alaknanda River at Jakhni, Kirtinagar

(***Amounts are excluding of GST @ 12%***)

| Agreement No. | Name of Contractor | Estimated cost (`in lakh) | Cost of Ag. (`in lakh) | Date of Ag. | Reach/km. | Up to date payment (in `) | | Vr. No. & date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/EE/2019-20; dated 20/11/2019 | Sh. Rajendra Singh Rana | 23.89 | 23.87 | 01-01-2020 | 0.00 km to 0.020 Km | Physical Progess 70% | | No payment made |
| 14/EE/2019-20 ; dated 01/01/2020 | Sh. Pradeep Kothari | 23.89 | 23.87 | 01-01-2020 | 0.0.020 km to 0.040 Km | Physical Progess 70% | | No payment made |
| 02/SE,IWC,NT/2018-19; dated 10/10/2018 | Sh Beer Chand Ramola | 189.99 | 144.29 (***24% Below)*** | 10-10-2018 | 0.310 km to 0.480 Km | 179.44 | Vth & Final Bill | Vr. No. -47/ dated-20/3/2020 |
| 03/SE,IWC,NT/2018-19; dated 10/10/2018 | Sh. Prem Singh Negi | 193.82 | 153.65 (***21% Below)*** | 10-10-2018 | 0.480 km to 0.600 Km | 135.02 | Vth & Final Bill | Vr. No. -48/ dated-20/3/2020 |
| | | **431.59** | **345.68** | | | **314.46** | | |

## B-Details of Agreements and work done for FPW in right bank of Alaknanda River at Jundisera, Kirtinagar

(***Amounts are excluding of GST @ 12%***)

| Agreement No. | Name of Contractor | Estimated cost (`in lakh) | Cost of Ag. (`in lakh) | Date of Ag. | Reach/km. | Up to date payment (in `) | | Vr. No. & date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/EE/2019-20 | Sh. Shiv Pratap Singh Pundir | 20.86 | 20.73 | 16-11-2019 | Km- 0.361 to 0.381 | 19,94,188 | IInd R/Bill | 03 of 08/2020 |
| 02/EE/2019-20 | Sh. Shiv Pratap Singh Pundir | 20.86 | 20.73 | 21-11-2019 | Km- 0.341 to 0.361 | 19,91,468 | IInd R/Bill | 09 of 08/2020 |
| 03/EE/2019-20 | Sh. Mahaveer Singh Kathait | 20.86 | 20.80 | 28-11-2019 | Km- 0.321 to 0.341 | 19,97,423 | IInd R/Bill | 08 of 08/2020 |
| 04/EE/2019-20 | Sh. Sampurna Nand Painuly | 20.86 | 20.83 | 30-12-2019 | Km- 0.301 to 0.321 | 20,02,257 | IInd R/Bill | 07 of 08/2020 |
| 05/EE/2019-20 | Sh. Bipin Bhandari | 20.86 | 20.85 | 02-12-2019 | Km- 0.281 to 0.301 | 20,00,956 | IInd R/Bill | 06 of 08/2020 |
| 06/EE/2019-20 | Sh. Rahul Bisht | 20.86 | 20.85 | 02-12-2019 | Km- 0.181 to 0.201 | 21,12,119 | IInd R/Bill | 16 of 08/2020 |
| 07/EE/2019-20 | M/s P.B. Construction | 20.86 | 20.84 | 11-12-2019 | Km- 0.221 to 0.241 | 20,67,639 | IInd R/Bill | 05 of 08/2020 |
| 09/EE/2019-20 | Sh. Manwar singh Pundir | 20.86 | 20.84 | 23-11-2019 | Km- 0.201 to 0.221 | 20,81,638 | IInd R/Bill | 11 of 08/2020 |
| 10/EE/2019-20 | Sh. Sunay Kuksal | 20.86 | 20.72 | 23-11-2019 | Km- 0.161 to 0.181 | 20,70,018 | IInd R/Bill | 04 of 08/2020 |
| 11/EE/2019-20 | Sh. Bhagwan Singh | 20.86 | 20.85 | 30-11-2019 | Km- 0.261 to 0.281 | 20,03,228 | IInd R/Bill | 12 of 08/2020 |
| 12/EE/2019-20 | Sh. Dinesh Chand Ramola | 20.86 | 20.84 | 11-12-2019 | Km- 0.241 to 0.261 | 20,00,404 | IInd R/Bill | 10 of 08/2020 |
| 13/EE/2019-20 | M/s N.D. Construction | 09.71 | 09.57 | 13-12-2019 | Km- 0.132 to 0.141 | 12,73,249 | IInd R/Bill | 02 of 08/2020 |
| 15/EE/2019-20 | Sh. Vipendra Singh Panwar | 20.86 | 20.85 | 13-12-2019 | Km- 0.141 to 0.161 | 20,65,412 | IInd R/Bill | 01 of 08/2020 |
| 01/SE,IWC,NT/ 2018-19 | Shri Shiv Pratap Singh Pundhir | 221.07 | 169.79 (***23% Below)*** | 10-10-2018 | Km- 0.405 to 0.600 | 2,21,06,190 | VIth R/Bill | 49 of 03/2020 |
| **Total** | | **481.1** | **429.09** | | | **4,77,66,189** | | |

## भाग 2 (ब)

**प्रस्तर 3 :- प्रकीर्ण अग्रिम की धनराशि ` 6.77 लाख का समायोजन न किया जाना।**

कार्यालय, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, नरेंद्र नगर की प्रकीर्ण अग्रिम पंजिका की लेखा परीक्षा जांच में पाया कि माह 08/2020 की लेखा बंदी के अनुसार खंड द्वारा विभागों, विभागीय कर्मचारियों, और ठेकेदारो के विरुद्ध कुल ` **6,76,620.88** का अग्रिम वसूली/समायोजन हेतु लंबित है। लंबित अग्रिमों का विवरण निम्नवत है:-

विभागों से (वर्ष 12/93 से 10/2000) **=** ` 542424.00

विभागीय कर्मचारियों (वर्ष 03/86 से 02/98)**=** ` 10889.80

ठेकेदारो (वर्ष 01/93 से 01/16) **=** ` 23230.13

विविध (12/86) = ` 2723.00

श्री भोपाल सिंह, जे.ई. (03/96) = ` (-) 646.00

लेखापरीक्षा में जांच के दौरान पाया गया कि वर्तमान तक वसूली/ समायोजन हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी है। इतने वर्षो से लंबित राशि के वसूली अथवा समायोजन न किया जाना विभागीय उदासीनता का घोतक है। काफी पुराने प्रकरणों या राज्य गठन से पूर्व के प्रकरणो को उच्चाधिकारियो को संदर्भित कर वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

लेखा परीक्षा द्वारा लंबित राशि के वसूली अथवा समायोजन न किये जाने के कारण पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि संबन्धित धनराशियों के समायोजन हेतु समय समय पर पत्राचार/ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इंगित किए गए कुछ प्रकरण काफी पुराने है जिनके संबंध में समायोजन की कार्यवाही लंबित है। अतः प्रकीर्ण अग्रिम की धनराशि ` 6.77 लाख का समायोजन नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

## भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | STAN |
|---|---|---|---|
| 122/1999-2000 | 01 | 01 | -- |
| 109/2000-2001 | 01 | 01 | |
| 43/2001-2002 | 01 | -- | |
| 25/2002-2003 | 02 | 01 | |
| 20/2010-2011 | -- | 01 | |
| 50/2011-2012 | 01 | -- | |
| 30/2013-2014 | -- | 01 | |
| 19/2019-2020 | -- | 02,03 एवं 04 | |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध में खंड ने उत्तर में बताया कि संबन्धित प्रस्तरों के उत्तर उच्चाधिकारियों को प्रेषित किए गए हैं। | | | | |

## भाग-IV

**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

--शून्य–

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, नरेंद्रनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-**

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | अवधि |
|---|---|---|---|
| 01 | श्री कमल सिंह | अधिशासी अभियंता | 21.06.2017 से वर्तमान तक |

5. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध रहे:-**

| क्र. सं. | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 01 | श्री बी.डी. जोशी | वरि॰ प्रभागीय लेखाधिकारी |
| 02 | श्री ए.एस. चौहान | वरि॰ प्रभागीय लेखाधिकारी |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रमुख अभियंता/ विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप-महालेखाकार/ ए॰एम॰जी॰-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
**ए॰एम॰जी॰ - I**